

हरियाणा सरकार

सचिवालय स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 2014

संख्या सा.का.नि. 4/सचि./अनु. 309/2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-क) नियम, 1979 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-क) संशोधन नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-क) नियम, 1979 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 7 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1) सेवा में पद निम्नलिखित ढंग से भरे जाएंगे :-

- (क) संयुक्त सचिव की दशा में, उप सचिवों, जो हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-क) के सदस्य हों, में से पदोन्नति द्वारा;
- (ख) मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव की दशा में, मन्त्रियों के वरिष्ठ सचिवों, जो हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-क) के सदस्य हों, में से पदोन्नति द्वारा;
- (ग) उप सचिव की दशा में, अवर सचिवों, जो हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-क) के सदस्य हों, में से पदोन्नति द्वारा;
- (घ) मंत्री के वरिष्ठ सचिव की दशा में, मन्त्रियों के सचिवों, जो हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-क) के सदस्य हों, में से पदोन्नति द्वारा;
- (ङ) अवर सचिव की दशा में, अधीक्षकों, जो हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-ख) के सदस्य हों, में से पदोन्नति द्वारा;
- (च) मंत्री के सचिव की दशा में, निजी सचिवों, जो हरियाणा सचिवालय सेवा (राज्य सेवा ग्रुप-ख) के सदस्य हों, में से पदोन्नति द्वारा।”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

“परिशिष्ट - क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	
1.	संयुक्त सचिव	-	2	2	15,600-39,100 ₹ + 8,000/- ₹ ग्रेड वेतन
2.	मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव	-	2	2	15,600-39,100 ₹ + 8,000/- ₹ ग्रेड वेतन
3.	उप सचिव	-	5	5	15,600-39,100 ₹ + 7,600/- ₹ ग्रेड वेतन
4.	मंत्री के वरिष्ठ सचिव	-	5	5	15,600-39,100 ₹ + 7,600/- ₹ ग्रेड वेतन
5.	अवर सचिव	16	15	31	15,600-39,100 ₹ + 6,000/- ₹ ग्रेड वेतन
6.	मंत्री के सचिव	4	11	15	15,600-39,100 ₹ + 6,000/- ₹ ग्रेड वेतन

परिशिष्ट - ख

(देखिए नियम 5)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनुभव
1	2	3
1.	संयुक्त सचिव	उप सचिव के पद पर एक वर्ष का अनुभव।
2.	मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव	मंत्री के वरिष्ठ सचिव के पद पर एक वर्ष का अनुभव।
3.	उप सचिव	अवर सचिव के पद पर तीन वर्ष का अनुभव।
4.	मंत्री के वरिष्ठ सचिव	मंत्री के सचिव के पद पर तीन वर्ष का अनुभव।
5.	अवर सचिव	अधीक्षक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव।
6.	मंत्री के सचिव	निजी सचिव के पद पर पांच वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट - ग

[देखिए नियम 12 (1)]

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6.	संयुक्त सचिव मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव उप सचिव मंत्री के वरिष्ठ सचिव अवर सचिव मंत्री के सचिव	सरकार	छोटी शास्तियां : (i) वयैक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन-वृद्धियां रोकना। बड़ी शास्तियां : (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं; (viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया	सरकार

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शारित का स्वरूप	शारित लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी
1	2	3	4	5
			गया था. उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्योष्टता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा. (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति. (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी. (xi) सेवा में पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्य निरर्हता होगी।	

परिशिष्ट - घ

[देखिए नियम 12 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6.	संयुक्त सचिव मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव उप सचिव मंत्री के वरिष्ठ सचिव अवर सचिव मंत्री के सचिव	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय साधारण/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार I"।

एस० सी० चौधरी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**SECRETARIAT ESTABLISHMENT DEPARTMENT****Notification**

The 3rd January, 2014

No. G.S.R. 4/Const./Art. 309/2014.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Secretariat Service (State Service Group-A) Rules, 1979, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Secretariat Service (State Service Group-A) Amendment Rules, 2014.

2. In the Haryana Secretariat Service (State Service Group-A) Rules, 1979, (herein after called the said rules), in rule 7. for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The posts in the Service shall be filled up in the following manner :—

- (a) in the case of Joint Secretary, by promotion from amongst the Deputy Secretaries who are members of the Haryana Secretariat Services (State Service Group-A);
- (b) in the case of Special Senior Secretary to Minister, by promotion from amongst the Senior Secretaries to Ministers who are members of the Haryana Secretariat Service (State Service Group-A);
- (c) in the case of Deputy Secretary, by promotion from amongst the Under Secretaries who are members of the Haryana Secretariat Service (State Service Group-A);
- (d) in the case of Senior Secretary to Minister, by promotion from amongst the Secretaries to Ministers who are members of the Haryana Secretariat Service (State Service Group-A);
- (e) in the case of Under Secretary, by promotion from amongst the Superintendents who are members of the Haryana Secretariat Service (State Service Group-B);
- (f) in the case of Secretary to Minister, by promotion from amongst the Private Secretaries who are members of the Haryana Secretariat Service (State Service Group-B).”

3. In the said rules, for Appendices A, B, C and D the following Appendices shall be substituted, namely :--

"APPENDIX - A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of Posts	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1.	Joint Secretary	-	2	2	₹ 15,600-39,100 + Grade Pay of ₹ 8,000/-
2.	Special Senior Secretary to Minister	-	2	2	₹ 15,600-39,100 + Grade Pay of ₹ 8,000/-
3.	Deputy Secretary	-	5	5	₹ 15,600-39,100 + Grade Pay of ₹ 7,600/-
4.	Senior Secretary to Minister	-	5	5	₹ 15,600-39,100 + Grade Pay of ₹ 7,600/-
5.	Under Secretary	16	15	31	₹ 15,600-39,100 + Grade Pay of ₹ 6,000/-
6.	Secretary to Minister	4	11	15	₹ 15,600-39,100 + Grade Pay of ₹ 6,000/-

APPENDIX -B

(See Rule 5)

Sr. No.	Designation of Posts	Minimum experience for appointment other than by direct recruitment
1	2	3
1.	Joint Secretary	One year experience as Deputy Secretary
2.	Special Senior Secretary to Minister	One year experience as Senior Secretary to Minister.
3.	Deputy Secretary	Three years experience as Under Secretary.
4.	Senior Secretary to Minister	Three years experience as Secretary to Minister.
5.	Under Secretary	Five years experience as Superintendent.
6.	Secretary to Minister	Five years experience as Private Secretary.

APPENDIX -C*[See Rule 12 (1)]*

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
			Minor Penalties :	
1.	Joint Secretary	Government	(i) Warning with a copy of the personal file (character roll);	Government
2.	Special Senior Secretary to Minister		(ii) Censure;	
3.	Deputy Secretary		(iii) Withholding of promotion;	
4.	Senior Secretary to Minister		(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of order to the Central Government or a State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State;	
5.	Under Secretary		(v) With holding of increments of pay without cumulative effect;	
6.	Secretary to Minister			
			Major Penalties :	
			(vi) With holding of increments of pay with cumulative effect;	
			(vii) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;	

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
			(viii) Reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (ix) Compulsory retirement; (x) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (xi) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	

APPENDIX -D*[(See Rule 12 (2)]*

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1.	Joint Secretary	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) Terminating the appointment of member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government."
2.	Special Senior Secretary to Minister		
3.	Deputy Secretary		
4.	Senior Secretary to Minister		
5.	Under Secretary		
6.	Secretary to Minister		

S.C. CHOUDHDARY,
Chief Secretary to Government Haryana.